Unit 1

Curriculum, Syllabi, Text books and Class room

a. Understanding the meaning and nature of curriculum, need for curriculum in schools. Objectives behind framing/developing a curriculum. Aims and curriculum; the relationship between the two. Relationship between these two and pedagogy. Curriculum, syllabi and textbooks: what's the relationship between these? What are implications of this for a teacher?

b. Hidden Curriculum' – meaning and concerns of 'hidden' curriculum Unstated implications of some text book features and class room practices especially relating to gender and marginalized groups.

c. Types of curriculum:

Liberal curriculum which seeks to develop understanding and perspectives, vocational curriculum which focuses on skills and is geared towards livelihood, mixed curriculum.

d. Curriculum visualized at different levels – national-level, state-level and related issues

## इकाई–1 : पाठ्यक्रम, पाठयचर्या, पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा

(a) पाठ्यक्रम का अर्थ एवं प्रकृति को समझना, विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता। पाठ्यक्रम निर्माण/विकास का उद्देश्य। लक्ष्य और पाठ्यक्रम, इन दोनों के मध्य संबंध। इन दोनों और शिक्षणशास्त्र के मध्य संबंध। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकः इनके मध्य क्या संबंध है ? एक शिक्षक के लिए इनका क्या महत्व है ?

(b) 'गुप्त पाठ्यक्रम'—गुप्त पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिकल्पना कुछ पाठ्यपुस्तक विशेषताओं एवं कक्षा अभ्यास के अकथनीय महत्व विशेषतः लैंगिक एवं पिछड़े हुए समूहों के संबंध में।

(c) पाठ्यक्रम के प्रकार—उदार पाठ्यक्रम जो समझ एवं दृष्टिकोण का विकास करे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो कौशल केन्द्रित हो और अजीविका के लिए उपकरण का कार्य करे, मिश्रित पाठ्यक्रम।

(d) विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की कल्पना–राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और संबंधित मुद्दे।

## प्रस्तावना
## (INTRODUCTION)

"विभिन्न अध्ययन, संगठित क्रियाएँ, पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएँ तथा विद्यालय का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और वातावरण पाठ्यक्रम में अपना स्थान प्राप्त करता है। प्रत्येक को शिक्षा के अन्तिम लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देने के लिये संगठित किया जाता है।"

"The various studies, organized activities, both curricular and extra-curricular activities and the entire social life and atmosphere of the school, find their respective places in the curriculum. Each is designed to make its contribution toward the attainment of the ultimate goals of education."

**—Henry J. Otto**

इस कथन से स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम (Curriculum) शिक्षा की प्रत्येक क्रिया के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देता है। ऐसा ही अभिप्राय इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है।

## पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषाएँ
## (MEANING AND DEFINITIONS OF CURRICULUM)

'Curriculum' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा 'क्यूररे' (Currere) शब्द से हुई, जिसका अर्थ है—'दौड़ का मैदान' (Race Course)। यह एक दौड़ का मैदान है, जिस पर व्यक्ति ध्येय को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। आधुनिक वर्षों में पाठ्यक्रम की परिभाषाओं में आमूल परिवर्तन हो गये हैं। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ—पाठ्य-वस्तु की एक सूची के रूप में लगाया जाता था। पाठ्य-वस्तु को प्रायः अध्ययन विषय के नाम से पुकारा जाता था। वस्तुतः पाठ्य-वस्तु को विद्यालय-विषयों तक सीमित कर दिया जाता था। साधारणतः बालक द्वारा कक्षा-कक्ष से बाहर ग्रहण किये जाने वाले अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना जाता था। उस समय विद्यालय बालक की आवश्यकताओं की अपेक्षा विषय को

अधिक महत्त्व देते थे। परन्तु आधुनिक काल में पाठ्यक्रम की परिभाषाएँ अधिक व्यापक हो गई हैं। ये परिभाषाएँ स्वयं में केवल विद्यालय विषयों को ही नहीं, वरन् बालक की अन्य समस्त क्रियाओं एवं अनुभवों को भी सम्मिलित करती हैं जिनके लिए विद्यालय मार्ग-प्रदर्शन करता है। अब उनके क्षेत्र में वे समस्त क्रियाएँ आती हैं जो कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम-क्रियाओं के नाम से प्रसिद्ध थीं। यहाँ तक कि इनके अन्तर्गत बालक की वे समस्त क्रियाएँ एवं अनुभव आते हैं जिनको वे जहाँ कहीं और जब कभी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आधुनिक समय में पाठ्यक्रम को बहुत ही व्यापक रूप में देखा जाने लगा है। उपर्युक्त दृष्टिकोण की पुष्टि निम्न परिभाषाओं द्वारा की जा सकती है—

**क्रो** तथा **क्रो** के अनुसार—"पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव निहित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किये जाते हैं जो उनको मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता देता है।"

"Curriculum includes all the learners' experience in or outside school that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally." **—Crow and Crow**

**वाल्टर सी.** के अनुसार—"पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा-कक्ष की क्रियाएँ तथा उसके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित हैं।"

"The curriculum may be defined as all the experiences that pupils have while under the direction of the school, it includes both class-room and extra-activities, work as well as play." **—Walter C.**

**ब्रूबेकर** के अनुसार—"पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के नियन्त्रण में सीखने वाले के समस्त अनुभव आते हैं। यह पाठ्य-पुस्तक, पाठ्य-वस्तु यहाँ तक कि अध्ययन-विषय से भी अधिक है। वह सम्पूर्ण स्थिति या स्थितियों का समूह है जो शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। इसके द्वारा विद्यालय के दरवाजों से गुजरने वाले बालकों एवं युवकों के आचरण में परिवर्तन किया जाता है।"

"Curriculum consists all the experiences of the learner under the control of school. It is more than the text-book, more than subject matter, more even than a course of study. It is the total situation or group of situations available to the teacher and school administrator through which to make behaviour changes in the endless stream of children and youth who pass through the doors of the school."

**—Brubacher**

**माध्यमिक शिक्षा आयोग** के अनुसार—"पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषयों से नहीं है, जिनको विद्यालय में परम्परागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें अनुभवों की सम्पूर्णता निहित है जिनको बालक बहुत प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, जो विद्यालय, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान तथा छात्रों एवं शिक्षकों के बीच होने वाले अगणित अनौपचारिक सम्पर्कों में होती रहती हैं। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो बालकों के जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श कर सकता है और सन्तुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान कर सकता है।"

"Curriculum does not mean only academic subject traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the class-room, library; workshop, playgrounds and in the numerous informal contacts between teachers and pupils. In this sense the whole life of the school becomes the curriculum, which can touch the life of the students at all points and help in the evolution of a balanced personality."

**—Secondary Education Commission.**

## पाठ्यक्रम के उद्देश्य
## (AIMS OF CURRICULUM)

**1. चरित्र**—बालकों में समृद्ध, उपयोगी एवं नैतिक जीवन के लिए नींव डालना जिससे वे समाज-कल्याण के लिए कार्य कर सकें।

**2. राष्ट्रीय विरासत**—बालकों को अपनी राष्ट्रीय विरासत को समझने एवं उसमें निष्ठा रखने के योग्य बनाना । इसके साथ ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भाव उत्पन्न करना।

**3. स्वास्थ्य**—हृष्ट-पुष्ट बालकों का निर्माण करना तथा उपयुक्त मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टिकोणों एवं आदतों का विकास करना।

**4. स्पष्ट चिन्तन एवं पर्यवेक्षण**—बालकों में उपयुक्त परिकल्पनाओं पर आधारित विवेक-शक्ति का विकास करना, जिससे वे सत्य एवं असत्य को पहचान सकें। इसके अतिरिक्त बालकों में खोज करने के लिए रुचि एवं योग्यता का विकास करना।

**5. ज्ञान एवं कुशलता**—बालकों में योग्यतानुसार ज्ञान एवं विभिन्न कुशलताओं का विकास करना।

**6. सौन्दर्यानुभूति एवं अभिव्यक्ति**—बालकों में सुन्दरता के उपयोग के लिए सौन्दर्यानुभूति तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों का विकास करना।

**7. सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध**—बालकों में उपयुक्त सामाजिक दृष्टिकोणों एवं सम्बन्धों का विकास करना जिससे वे परिवार, विद्यालय तथा समाज में उपयुक्त ढंग से जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अतिरिक्त उनमें व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करना और उनको मानव-समाज के आर्थिक सम्बन्धों की जानकारी प्रदान करना।

**8. नागरिकता**—भारतीय जनतन्त्र के लिए निष्ठा एवं गर्व की भावना उत्पन्न करना। इसके अतिरिक्त उनको नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों से अवगत कराना। परन्तु यह नागरिकता केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं होगी वरन् इसका क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का भी विकास करना होगा।

"The curriculum consists of content, teaching methods and purpose may be in its rough and ready may be a sufficient definition with which to start. These three dimensions interacting are operational curriculum."

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं होता है अपितु विद्यालय में नियोजित एवं सम्पादित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बालक के विकास में सहायक होती हैं। पाठ्यक्रम में सम्पूर्ण क्रियाओं एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है जो बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक होता है।

## पाठ्यक्रम की प्रकृति
## (Nature of Curriculum)

पाठ्यक्रम की प्रमुख प्रकृतियाँ निम्नलिखित हैं—

**(1) शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है**—पाठ्यचर्या एक ऐसा लेखा-जोखा है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक आदि) में कितना ज्ञान देना है, बताया जाता है।

**(2) समय एवं शक्ति का सदुपयोग**—इसमें अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों ही निश्चित समय में निश्चित कार्यों को पूरा करते हैं। इसमें समय व शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है।

**(3) पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण सम्भव**—किसी स्तर की निश्चित पाठ्यचर्या में उस स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों की सामग्री भी निश्चित होती है, इसी के आधार पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जाती हैं।

**(4) शिक्षा का समान स्तर**—पाठ्यचर्या के कारण शिक्षा का स्तर समान रहता है।

**(5) उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव**—पाठ्यचर्या का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है यदि इसे सुचारु रूप से चलाया जाये तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।

## पाठ्यक्रम की आवश्यकता
## (Need of Curriculum)

पाठ्यक्रम निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। पाठ्यक्रम के निर्माण के द्वारा ही शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को क्रमबद्ध विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण कार्य उद्देश्य रहित नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षा का ध्येय ही पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित विषय-वस्तु तथा उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, जिसे पाठ्यक्रम में व्यवस्थित किया जाता है एवं पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।

प्रायः शिक्षकों के मन में इस तरह की धारणा प्रचलित है कि पाठ्यक्रम निर्माण में उनका योगदान नहीं पाया जाता है। शिक्षाविद् पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तथा उसके पश्चात् विद्यालयों, अध्यापकों या छात्रों पर पाठ्यक्रम को थोप दिया जाता है, परन्तु विचार करने से यह तथ्य ठीक प्रतीत नहीं होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न विषयों तथा क्रियाओं हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में विभिन्न शिक्षाविदों के साथ-साथ विषयों के अध्यापकों को भी शामिल किया जाता है जो कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों व छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्रमबद्ध विधि द्वारा योजना बनाते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। पाठ्यक्रम में छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। एक संतुलित पाठ्यक्रम हेतु एक सुनिश्चित प्रक्रिया बनायी जाती है। अतः इसी कारण पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है।

शिक्षा की आवश्यकता और पाठ्यक्रम की आवश्यकता समान है, परन्तु ऐतिहासिक समीक्षा से विदित होता है कि ये आवश्यकतायें बदलती रही हैं। इसलिये इन सभी आवश्यकताओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है—

1. ज्ञान प्राप्त करने के लिये अन्य जीवों से प्रमुख भिन्नता मानवी ज्ञान की दृष्टि मानी जाती है।
2. मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिये विभिन्न विषयों के शिक्षण से मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाता है।

3. व्यवसाय तथा नौकरियों के लिये तैयार करना। शिक्षा से नौकरियों के लिये तैयारी होती है।

4. छात्रों में अभिरुचियाँ उत्पन्न करने के लिये। छात्रों की क्षमताओं के अनुरुप उनका विकास करना।

5. प्रजातन्त्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ऐसे नागरिकों को तैयार करना जो प्रजातन्त्र को नेतृत्व प्रदान कर सके।

6. छात्रों को व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण देकर तैयार करना नई शिक्षा नीति की प्राथमिकता है।

7. आम मानवी गुणों के विकास के लिये शिक्षा में महत्व दिया जाता है, आत्मानुभूति का विकास किया जाये।

8. सामाजिक आवश्यकताओं के लिये नागरिकों को तैयार करना तथा सौन्दर्यानुभूति गुणों का विकास करना।

9. प्रमुख आवश्यकता आज जीने की है कि आज की परिस्थितियों में जीवित रह सके। इसके लिये प्रशिक्षण दिया जाये।

10. छात्रों को भावी जीवन के लिये तैयार कर सके। शिक्षा भावी जीवन–यानपन के लिये दी जाती है।

11. तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिये भी तैयार करना।

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियन्त्रण के लिये प्रभावी यन्त्र है। इसलिये समाज की तथा राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं एवं परिवर्तन के लिये पाठ्यक्रम का विकास करना प्रमुख आवश्यकता है।

## पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या में अन्तर
## (DIFFERENCE BETWEEN CURRICULUM, SYLLABUS AND COURSE OF STUDY)

पाठ्यक्रम के लिए 'करीक्युलम' के साथ–साथ 'सिलेबस' (Syllabus) तथा 'कोर्स ऑफ स्टडी' शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है किन्तु इन तीनों के स्वरूप में अन्तर है जिसमें से पाठ्यक्रम शब्द सबसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है अतः इनमें अन्तर समझने से पूर्व सबके प्रत्यय पर एक दृष्टि डालनी होगी।

पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वे सभी अनुभव अन्तर्निहित हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है तथा जिनमें कक्षा के अन्दर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्येत्तर क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं।

पाठ्यवस्तु या सिलेबस पाठ्यक्रम के विषय केन्द्रित भाग का केवल एक भाग होता है अतः यह पाठ्यक्रम की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल विषय–वस्तु तक सीमित होते हैं। छात्र कक्षा में अलग–अलग विषय–वस्तुओं को सिलेबस के आधार पर प्राप्त करता है जिससे उसका बौद्धिक व मानसिक विकास होता है। डॉ. दीपक शर्मा के अनुसार, "सिलेबस किसी विषय से सम्बन्धित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें छात्रों का एक निश्चित स्तर तक मानसिक विकास होता है।"

पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु के इसी अन्तर को एक विद्वान ने भिनन दृष्टि से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, "पाठ्यवस्तु पूरे शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा पाठ्य–वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों मं पाठ्यवस्तु शिक्षण की विषय–वस्तु का निर्धारण करता है तथा पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि।"

यूनेस्को (UNESCO) के एक प्रकाशन 'Preparing Textbook Manscript' (1910) में पाठ्यक्रम व पाठ्य–वस्तु के अन्रतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों, उनकी व्यवस्था एवं क्रम का निर्धारण करता है व पाठ्य–वस्तु निर्धारित पाठ्य विषयों के शिक्षण हेतु अर्न्तवस्तु उसके ज्ञान की सीमा, छात्रों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है व इस प्रकार यह पाठ्यक्रम का एक परिष्कृत एवं विस्तृत रूप होता है। उदाहरणार्थ हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में गणित एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है किन्तु गणित विषय के अन्तर्गत जिन उप–विषयों (अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित) की एक निश्चित पाठ्य–सामग्री अथवा प्रकरणों को पढ़ाने के लिए

निर्धारित किया जाता है उसे गणित की पाठ्यवस्तु कहा जायेगा। इस प्रकार पाठ्यवस्तु का सम्बन्ध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में होता है, जबकि पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बालक के सम्पूर्ण विकास में होता है।

पाठ्यचर्या (Course of Study) पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। इसमें अर्न्तवस्तु के अतिरिक्त शिक्षकों, छात्रों तथा प्रकाशकों के उपयोगार्थ सहायक सामग्री एवं कार्यविधि आदि के निर्देश भी सम्मिलित होते हैं। कार्टर वी. गुड के शिक्षा शब्दकोष के अनुसार पाठ्यचर्या एक कार्यालयी संदर्शिका होती है जो किसी कक्षा का किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था के लिए तैयार की जाती है। इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम के लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम, अध्ययन सामग्री की प्रकृति एवं विस्तार तथा उपर्युक्त सहायक सामग्री एवं पाठ्य–पुस्तकों के साथ–साथ अनुपूरक पुस्तकों, शिक्षण विधियों, सहगामी क्रियाओं तथा उपलब्धि के मान सुझाव भी दिये जाते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा पाठ्यवस्तु (Syllabus) एवं पाठ्यचर्या (Course of Study) को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में भी 'सिलेबस' के स्थान पर 'कोर्स ऑफ स्टडी' का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है।

## परोक्ष / छुपी पाठ्यचर्या (Hidden Curriculum)

**छुपी / परोक्ष** पाठ्यचर्या गैर–शैक्षिक होती है, किंतु विद्यालयी शिक्षा का बेहद महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। वस्तुतः **'परोक्ष'** पाठ्यचर्या जान–बूझ कर भी कई अधिगम अनुभवों को छिपाती है। परोक्ष पाठ्यचर्या शिक्षा का वह अंग है, जो सीखा जाता है, किंतु खुले तौर पर नहीं, उदाहरण के लिए आदर्शों, मान्यताओं और विश्वासों का प्रसारण जिनकी जानकारी कक्षा में और सामाजिक वातावरण में दी जाती है। **परोक्ष** पाठ्यचर्या लिखित न होने के कारण अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती, परन्तु यह विद्यार्थी के अधिगम, उसके व्यवहार और उसके व्यक्तित्त्व को न केवल शिक्षा के दौरान बल्कि शिक्षा पूरी होने के बाद भी प्रभावित करता है। इस प्रभाव को विद्यार्थी के जीवन में बाद तक देखा जा सकता है।

आइए! परोक्ष पाठ्यचर्या के दोनों पक्षों पर हम विचार करें। यदि हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो कई अवसरों पर यह देखा गया है, कि एक परोक्ष पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को उनके वर्ग और सामाजिक स्थिति के अनुसार शिक्षित करके मौजूदा सामाजिक असमानताओं का सुदृढ़ीकरण करने का काम भी करती है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है वह परोक्ष पाठ्यचर्या और इसके प्रभावों को पहचानने का प्रयास करें। इनके प्रति संवेदनशील और सतर्क होकर ही शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को परोक्ष पाठ्यचर्या के नकारात्मक प्रभावों से यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है।

### परोक्ष पाठ्यचर्या के पहलू

अधिगम के विभिन्न पहलू परोक्ष पाठ्यचर्या की सफलता में योगदान करते हैं, जिसमें अभ्यास, प्रक्रियाएँ, नियम, संबंध और ढाँचे सम्मिलित होते हैं। बहुत से विद्यालय विशेष स्रोत जो इन अधिगम के पहलुओं में सम्मिलित हो सकते हैं, वे परोक्ष पाठ्यचर्या के तत्त्वों को बढ़ावा देते हैं। ये स्रोत सम्मिलित हो सकते हैं, किंतु ये कक्षा की सामाजिक संरचना, शिक्षक का अधिकार का अभ्यास, अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंध को संचालन करने वाले नियम अधिगम गतिविधियाँ, अध्यापक द्वारा भाषा प्रयोग, पुस्तकों, दृश्य–श्रव्य, सहायक सामग्री, असबाब, स्थापत्य, अनुशासिक–उपायी, समय–सारणी, ट्रेकिंग सिस्टम और पाठ्यक्रम प्राथमिकताओं तक ही सीमित नहीं है। इन स्रोतों में विविधता आने पर असमानताओं में बढ़ावा होता जब परोक्ष पाठयचर्या की विभिन्न वर्ग और सामाजिक स्थितियों से तुलना की जाती है।

## मिश्रित पाठ्यक्रम
## (Fused Curriculum)

मिश्रित पाठ्यक्रम से हमारा अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है, जिसमें दो-या-दो से अधिक विषयों को एक ही विषय के अन्तर्गत मिला लिया जाता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम मिश्रण के सिद्धान्त को विकसित करता है। इसके अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम में अधिगम की अन्य इकाइयों को भी मिला लिया जाता है। उदाहरणास्वरूप, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र आदि विषयों को मिलाकर 'सामाजिक विज्ञान' बना दिया और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर 'सामान्य विज्ञान' का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को मिश्रित पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है।

**मिश्रित पाठ्यक्रम की विशेषतायें (Characteristics of Fused Curriculum)**

1. बालकों की ज्ञानार्जन सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त हो जाती है।
2. इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के लिए बोझिल और उबाऊ नहीं होता।
3. इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कई विषयों की जानकारी होती है।
4. इसी पाठ्यक्रम से व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम का जन्म होता है।
5. इस पाठ्यक्रम में विभिन्न सम्बन्धित विषयों का परस्पर घनिष्ठ सह-सम्बन्ध होता है।

**मिश्रित पाठ्यक्रम के दोष (Deformities of Fused Curriculum)**

1. विषय का पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता।
2. यह पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता।
3. विषयों की अधिकता होने के कारण विद्यार्थी इसमें पूर्ण रुचि नहीं लेते।
4. यह पाठ्यक्रम बालक और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता।

## 12. मुक्त या पारम्परिक पाठ्यक्रम
## (Liberal or Traditional Curriculum)

जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह पाठ्यक्रम वह होता है जिसमें छात्रों को स्वतन्त्र रूप से ज्ञान प्राप्ति के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। 'करके सीखो' (Learning by doing) भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम का ही एक भाग है।

**पारम्परिक पाठ्यक्रम के दोष (Deformities of Traditional Curriculum)**

**1. संकीर्ण धारणा** (Narrow Concept)—सेकण्डरी शिक्षा आयोग के अनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित धारण पर आधारित है। पारम्परिक विषय-वस्तु ने पाठ्यक्रम को सीमित कर दिया है। यह विद्यार्थियों को केवल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है, जीवन के लिए नहीं। इसमें न तो वर्तमान समाज की समस्यायें सम्मिलित हैं और न ही उनका समाधान सम्मिलित है।

**2. पुस्तकीय एवं यान्त्रिक** (Bookish and Mechanical)—पारम्परिक पाठ्यक्रम पुस्तकीय एवं यान्त्रिक है। इसमें व्यवहार पक्ष की अपेक्षा शैक्षणिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। सैद्धान्तिक पक्ष में भी असम्बन्धित विषय रखे जाते हैं जो सीखने के गलत मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। अधिकांश विषय बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुकूल नहीं होते।

**3. एकरूपता एवं कठोरता** (Uniform and Rigid)—पारम्परिक पाठ्यक्रम में एकरूपता एवं कठोरता है। सभी विद्यार्थियों को एक ही तथ्य का अध्ययन करना पड़ता है और उनकी रुचियों, आवश्यकताओं एवं शक्तियों की विभिन्नता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

**4. बोझिल एवं अत्यधिक** (Heavy and Over Loaded)—पारम्परिक पाठ्यक्रम बोझिल एवं अत्यधिक है।

**5. परीक्षा का बोलवाला** (Dominated by Examination)—पाम्परिक पाठ्यक्रम में परीक्षा का अत्यधिक बोलवाला है। परीक्षा का डर स्कूल कार्य को अत्यधिक भयावह बना देता है। परीक्षायें न तो विश्वस्त हैं, न ठोस, न वस्तुनिष्ठ (Objective) और न ही व्यापक हैं।

**6. अमनोवैज्ञानिक** (Unpsychological)—पारम्परिक पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल नहीं। न तो यह विद्यार्थी केन्द्रित है और न ही क्रिया केन्द्रित।

**7. सांस्कृतिक विरासत की अवहेलना** (Neglects Cultural Heritage)—पारम्परिक पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक विरासत की अवहेलना की गयी है। यह खेद का विषय है कि हमारे स्कूलों में भारतीय लोकगीतों, पौराणिक कथाओं, संगीत तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं। अतः भारतीय संस्कृति के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए।

**8. स्मृति पर बल** (Exphasis on Memory)—पारम्परिक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों से अत्यधिक स्मृति कार्य की माँग करता है। विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों तथा गाइडों में दी गयी सामग्री का स्मरण करने को कहा जाता है। पुस्तकें एक प्रकार से विद्यार्थियों के आगे सीमा रेखा खींच देती हैं जिनसे आगे जाने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाती । विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए ज्ञान को रट लेते है। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् वे फिर कोरे ही रह जाते है अर्थात् सब कुछ भूल जाते हैं। उनमें आत्म-निर्भरता, मानसिक चेतना एवं मौलिकता को विकसित करने को प्रयास नहीं किया जाता।

**9. अप्रगतिशील** (Unprogressive)—पारम्परिक पाठ्यक्रम अप्रगतिशील है क्योंकि यह आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता। यह स्थिर है और समाज की बदलती हुई आवश्यकतायें पूरी नहीं करता।

**10. औपचारिक स्कूली शिक्षा** (Formal Schooling)—पारम्परिक पाठ्यक्रम मुख्यतः औपचारिक स्कूली शिक्षा पर आधारित है। इसमें अनौपचारिक एवं अंशोपचारिक विधियों (Non-formal methods) तथा अंशोपचारिक शिक्षा अभिकरणों को बहुत महत्व दिया जा रहा है।

**11. नैतिक शिक्षा की अवहेलना** (Neglects Moral Education)—पारम्परिक पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा की उपेक्षा करता है जिसके परिणामस्वरूप चारित्रिक ह्रास हो रहा है और अनुशासनहीनता बढ़ रही है।

**12. शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों से तालमेल नहीं** (Non-Co-ordinate with Informal Agencies of Education)—पारम्परिक पाठ्यक्रम का शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों (जैसे—प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य सामाजिक संगठन जो शिक्षा के कार्यों में लगे हुए हैं) के साथ कोई तालमेल नहीं होता।

## 6. व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम
## (Vocation based Curriculum)

इस प्रकार के पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बालक को किसी व्यवसाय विशेष से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है आधुनिक युग में इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अत्यन्त पसन्द किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के ज्ञान से रोजगार प्राप्त में सुविधा होती है और भावी विज्ञान अत्यन्त सफल रहता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में हालांकि कुछ अन्य विषय (सामान्य शैक्षिक विषय) भी पढ़ाये जाते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य बालक के उस कौशल (Skill) को विकसित करना होता है। जो उसे स्वावलंबी बनाने में सहायक होता है। इस कौशल के अंतर्गत बालक को किसी व्यवसाय विशेष या तकनीक विशेष की पूर्ण जानकारी दी जाती है।

**व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषतायें**
**(Main Characteristics of Vocation based Curriculum)**

1. इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालक को किसी व्यवसाय से जोड़ता है।
2. बालक में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है।
3. व्यावसायिक कौशल के साथ-साथ सामान्य विषयों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है।
4. बालक में करके सीखने (Learning by doing) की आदत का विकास होता है।
5. व्यावसायिक कुशलता के कारण बालक के भावी जीवन की कुशलता की कामना की जा सकती है।

**व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम के दोष (Deformities of Vocation based Curriculum)**

व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम के निम्नलिखित दोष हैं—

1. यह पाठ्यक्रम बालक के जीवन के किसी एक पक्ष को विकसित करता है।
2. बालक को अन्य सामान्य विषयों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती।
3. किसी एक कौशल में सिद्धहस्त होने के बाद अन्य क्षेत्रों में सेवा के अवसर नहीं मिल पाते।
4. विद्यार्थी जीवन में आजीविका कमाने के भावी ज्ञानरूपी धारा के प्रवाह में बाधक बनते हैं।

## विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की कल्पना

## राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्

## (National Council of Educational Research And Training—NCERT)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् जो एक स्वायत्त संगठन है, सितम्बर 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गयी थी। यह स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियों और वृहत् कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार का कार्य करती है। इसमें निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त है—

(1) भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता,

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति,

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन,

(4) भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य।

इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

(1) विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना।

(2) विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(3) शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना।

(4) विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहारों को लागू करना।

(5) विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में विचारों तथा सूचनाओं के लिए एक निकासी गृह (Clearning house) के रूप में कार्य करना।

परिषद् अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education—NIE) नई दिल्ली, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली (Central Institute of Educational Technology—CIET), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजूकेशन (Pandit Sundar Lal Sharma Central Institute of Vocational Education—PSSCIVE), भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों (Regional Colleges of Education—RCE) तथा सम्पूर्ण देश में अधिकतर राज्यों की राजधानियों में स्थित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभिन्न संघटकों के माध्यम से अनुसन्धान विकास प्रशिक्षण विस्तार तथा शैक्षिक नवाचारों के प्रसार आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित करता है। परिषद् निम्नलिखित उत्क्रमित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है–

**(अ) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण** (Universalization of Elementary Education)–परिषद् इस क्षेत्र में निम्नांकित कार्य कर रही है–

परिषद् प्रारम्भिक शिशु देख-रेख एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education ECCE) से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। इसमें निम्नांकित कार्यों पर बल दिया गया–

(i) खेल-खेल में शिक्षा के दृष्टिकोण से भाषा, गणित तथा पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययनों में 'कार्यकलाप पुस्तिका' तथा 'प्रारम्भिक शिशु शिक्षा' पर शिक्षकों की एक मार्गदर्शिका तैयार की।

(ii) 'लोक खिलौने के माध्यम से विज्ञान का शिक्षण' का प्रकाशन कराया।

(iii) 'चीर' (Cheer) परियोजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए फूल-बगिया खण्ड-III तथा किलकारी खण्ड-IV का प्रकाशन कराया।

(iv) बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किये गये।

(v) न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Levels of Learning—MLL) कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा IV तथा V के लिए शिक्षकों हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये।

(vi) शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से बच्चों, शिक्षकों तथा चयनित दो शिक्षकों वाले स्कूलों की स्थिति का अध्ययन कराया।

(vii) अनुसूचित जातियों की शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के लिए उन्हें अनुसूचित जातियों की शिक्षा की बाधाओं और समस्याओं से अवगत कराने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया।

(viii) परिषद् जिला प्रायमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme DPEP) की परियोजना के लिए चयनित राज्यों को शैक्षिक परामर्श प्रदान करती है।

(ix) गैर-औपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) कार्यक्रम के लिए समृद्ध सामग्री तैयार करना।

(x) भाषा और गणित में गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री का विकास किया।

**(ब) महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा** (Education for Women's Equality) परिषद् इस क्षेत्र में निम्नांकित कार्य कर रही है–

(i) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों के लिए हैण्डबुक तैयार करना।

(ii) महिलाओं की शिक्षा एवं विकास की प्रणाली विज्ञान पर प्रशिक्षण पुस्तिका परियोजना का संचालन।

(iii) लड़कियों तथा वंचित वर्गों की प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नति नामक परियोजना का संचालन।

**(स) शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया का पुनः प्रबोधन** (Reorientation of Content and Process of Education)–परिषद् इस क्षेत्र में निम्नांकित कार्य कर रही है–

(i) स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक विज्ञानों में पाठ्यचर्या का अध्ययन स्तर के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कराया।

(ii) 'राष्ट्रीय एकता' के आधार बिन्दु से पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन कराया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत असम, तमिलनाडु तथा राजस्थान की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया।

(iii) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या की स्थिति का अध्ययन कराया।

(iv) प्राथमिक विज्ञान किट, समेकित विज्ञान और कुछ अन्य किटों को तैयार कराया।

(v) विज्ञान तथा गणित के शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों (District Institute of Education and Training) तथा राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संसाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजन किया।

**(द) प्रतिभा खोज** (Talent Search)–परिषद् राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (National Talent Search) के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। साथ ही छात्रों के चयन के लिए साक्षात्कारों का भी आयोजन करती है।

**(य) शिक्षक शिक्षा** (Teacher Education)–परिषद् ने सेवापूर्ण तथा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा क्षेत्रीय शिक्षा, कॉलेज, स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए व्यापक कार्यकलापों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री का विकास किया।

**(र) शिक्षा का व्यवसायीकरण** (Vocationalization of Education)–शिक्षा के व्यवसायीकरण के महत्व को समझते हुए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (NIE) के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के स्तर को उन्नत बनाकर केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (CITE) का भोपाल में गठन किया। वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यचर्या का पुनर्गठन एवं संशोधन किया गया। राज्य कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किये गये। उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके माध्यम से उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, दर्शनशास्त्र तथा अन्य पहलुओं से अवगत कराया गया।

**(ल) शैक्षिक प्रौद्योगिकी** (Educational Technology)–इस क्षेत्र में परिषद् ने निम्नलिखित कार्य किये–

(1) क्लासरूम 2000+ के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ अध्ययन के लिए पारम्परिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन के सम्बन्ध में शिक्षा पर इण्डो- यू. एस. उप आयोग के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ की।

(2) हिन्दी तथा गुजराती में 70 ई. टी. वी. कार्यक्रम तैयार किये गये।

(3) उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान में प्रदर्शन पाठों पर वीडियो फिल्मों का विकास किया गया।

**(व) शैक्षिक अनुसन्धान एवं नवाचार** (Educational Research and Innovation)–शैक्षिक अनुसन्धान और नवाचार समिति (Educational Research and Innovation Committee–IRIC)–ने शिक्षक-शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान परियोजनाओं को

संचालित किया है। साथ ही इसने पाँचवें अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं नवाचार सर्वेक्षण परियोजना के अन्तर्गत अनुसन्धान एवं नवाचारों के सारांशों की सूची को सम्पादित किया है। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त नवाचारों पर सूचनायें भी एकत्रित करती हैं।

**(श) प्रकाशन एवं प्रसार** (Publication and Dissemination)—स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, शिक्षकों के लिए गाइडों, सप्लीमेण्टर्स रीडर्स, अनुसन्धान विनिबन्धों (Research Monographs) आदि के प्रकाशन के अतिरिक्त परिषद् निम्नांकित पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है—

(1) इण्डियन एजूकेशन रिव्यू (त्रैमासिक)
(2) प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)
(3) जनरल ऑफ इण्डियन एजूकेशन (द्विमासिक)
(4) स्कूल साइन्स (त्रैमासिक)
(5) प्राइमरी शिक्षक (हिन्दी में प्रकाशित त्रैमासिक)
(6) भारतीय आधुनिक शिक्षा (हिन्दी में प्रकाशित त्रैमासिक)।

## राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा)
## (National Institute of Educational Planning And Administration-NIEPA)

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान (नीपा) शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा गठित कर स्वायत्तशासी विभाग है। यह संस्थान 1962 में यूनेस्को के साथ दस वर्षीय संविदा के तहत स्थापित किया गया। उस समय इसका नाम था—एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (Asian Institute of Educational Planning and Administration)। इस संविदा की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इस संस्थान को अपने हाथों में ले लिया और उसका नाम रखा—'National Staff College for Educational Planning and Administration'। मई 1979 में भारत सरकार ने इस संस्थान को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) नाम दिया। इसके प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं—(1) शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, (2) अनुसन्धान कार्य, (3) शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नई खोजों का प्रसार, (4) केन्द्र व राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में परामर्श सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध कराना। अब इस संस्थान को विश्वविद्यालय स्तर प्रदान किया गया है। अब यह राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration—NIEPA) के नाम से जाना जाता है।

**नीपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम**—शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं के लिए नीपा (NIEPA) प्रति वर्ष अनेक गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनके माध्यम से उन्हें शैक्षिक प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाता है। यही बहुस्तरीय नियोजन, मानव संसाधन विकास, नेतृत्व, निर्णय, सूचना प्रणाली का प्रबन्ध, शैक्षिक वित्त का प्रबन्ध आदि के साथ ही शिक्षा का सार्वभौमीकरण (Universalization), प्रौढ़ निरक्षरता की समाप्ति, स्त्री शिक्षा का विकास, उपलब्ध संसाधनों के आदर्श उपयोग आदि की समस्याओं तथा समाधान पर ध्यान दिलाया जाता है।

भारत के अतिरिक्त विदेशी कार्यकर्त्ताओं के लिए भी नीपा द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। उदाहरण के लिए, थाईलैण्ड, श्रीलंका, पापुआ, न्यूगिनी के शिक्षाधिकारी इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

शैक्षिक योजना और प्रशासन से सम्बन्धित तीन पाठ्यक्रम नीपा प्रतिवर्ष चलाता है—एक विदेशी अधिकारियों के लिए तथा दो भारत के लिए। छः महीने के प्रशिक्षण के बाद शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

**अनुसन्धान कार्य**–नीपा की अनुसन्धान विधियाँ बहुमुखी हैं। यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा अनेक प्रकार के अध्ययन किये जा चुके हैं, जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में शिक्षा का प्रशासन, विद्यालय निरीक्षण प्रणाली, जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन, प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तथा भारत में शैक्षिक प्रशासन का निदानात्मक अध्ययन आदि। वर्तमान परियोजनायें जिन पर काम चल रहा है, वे हैं–शैक्षिक सुविधाओं के स्थानीय प्रावधानों का अध्ययन, भारतीय राज्यों में शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था, स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों का इच्छित अनुपात, माध्यमिक स्कूलों के प्रधान तथा कॉलेज प्राचार्यों की भूमिका का निष्पादन तथा विश्वविद्यालय समुदाय की स्वायत्तता आदि।

**नवाचारों का प्रसार**–शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्रों में की गई खोजों को प्रकाशित कर दूसरों को लाभान्वित करने का कार्य भी नीपा द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, 'भारत में स्कूल प्रणालियों के लिए पुनर्जीवन' पुस्तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, छात्रों को स्कूल में बनाये रखने की दर में वृद्धि, शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा उपलब्ध संसाधनों के आदर्श उपयोग जैसी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। 1983 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 'प्लरा दू' स्तर पर आरम्भ किये गये व्यावसायीकरण कार्यक्रम से परिचित कराने तथा 1985 में मध्य प्रदेश में 'शिक्षण के दौरान जीविकोपार्जन' योजना का अध्ययन करने के लिए नीपा ने शिक्षाधिकारियों द्वारा अन्तर्राज्यीय भ्रमण का आयोजन भी किया था।

**सलाहकार सेवायें**–अपने राज्य में शिक्षा विभाग का पुनर्गठन करने के कार्य में विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को नीपा ने अपनी सलाहकार सेवायें प्रदान की हैं। हरियाणा सरकार के आग्रह पर नीपा ने स्कूल खोलने, उन्हें विस्तार देने, स्कूलों के निर्माण तथा अध्यापकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमावली तैयार की है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalization) तथा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों में नीपा भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है। भारत सरकार द्वारा स्थापित अध्यापक आयोगों में नीपा अपनी विशेषज्ञ सेवायें देता रहा है।

**प्रकाशन कार्यक्रम**–संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा शोध रिपोर्टों का प्रकाशन भी करता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं–'एजूकेशन एण्ड दि न्यू इण्टरनेशनल ऑर्डर', 'रिवाइटलाइजिंग स्कूल कॉम्प्लैक्सेज इन इण्डिया' तथा 'गवर्नमेण्ट सपोर्ट फॉर हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च' पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित होने वाली हैं। यहाँ से एक त्रैमासिक पत्रिका 'एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' का भी प्रकाशन होता है। गिमियोग्राफ के रूप में अनेक शोध रिपोर्ट और अध्ययनों का प्रकाशन भी किया गया है।

**नीपा संकाय** (NIEPA Faculty)–नीपा सकाय का गठन अनेक अकादमिक एककों (Academic Units) के रूप में किया गया है। प्रमुख एकक हैं–शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक योजना शिक्षा नीति, शैक्षिक वित्त, विद्यालय तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि।

शैक्षिक प्रशासन एकक (Educational Administration Unit) शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास द्वारा शैक्षिक प्रशासन की कार्यकुशलता सुधारने का प्रयास करता है। यह संस्थागत प्रबन्ध निर्णय कार्य, नेतृत्व, संचार, संघर्ष समाधान, कार्यकर्त्ता मूल्यांकन तथा संस्थागत मूल्यांकन आदि पक्षों पर शोधकार्य करने के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

शैक्षिक योजना एकक (Educational Planning Unit) के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र तथा शिक्षा के परस्पर सम्बन्ध तथा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों (Strategies) का निर्धारण भी यहाँ किया जाता है। जनांकिकी की शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार और शिक्षा तथा सीमित शिक्षा साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने की योजना शोध तथा प्रशिक्षण कार्य का आयोजन भी यहाँ किया जाता है।

शिक्षा नीति एकक (Educational Policy Unit) का सरोकार भारत व तीसरी दुनिया (Third World) में शिक्षा नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं से है। शिक्षा सिद्धान्त, लक्ष्य, शिक्षा तथा विकास

में परस्पर सम्बन्ध, शिक्षा और समानता, जीवन-स्तर, राष्ट्रीय स्तर आदि के समझने के साथ ही 'वंचित जन' के लिए प्रदत्त प्रोत्साहनों के कुशल प्रबन्ध पर ध्यान देना भी इसी संकाय का कार्य है।

शैक्षिक वित्त एकक (Educational Finance Unit) शिक्षा में अनावश्यक व्यय को घटाने, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमतायें बढ़ाने के काम में लगा है।

स्कूली और औपचारिकेत्तर शिक्षा एकक (School and Non-formal Education Unit) प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक कार्यक्रम, बालिकाओं तथा वंचित वर्गों में बच्चों की शिक्षा एवं औपचारिकेतर शिक्षा के शिक्षा के नियोजन तथा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर तत्सम्बन्धित अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

उच्चतर शिक्षा एकक (Higher Education Unit) कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यकर्त्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उच्चतर शिक्षा के नियोजन और प्रकाशन की तात्कालिक समस्याओं पर शोध कर उनका समाधान इसका प्रमुख लक्ष्य है।

उपराष्ट्रीय प्रणाली (Sub-national System) तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एकक (International Programme Unit) क्रमशः राष्ट्र के विभिन्न राज्यों की विकास नीति तथा योजनाओं पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान पर बल देते हैं। अन्तर्देशीय विनियम कार्यक्रम (International Exchange Programme) के तहत शैक्षिक योजना और प्रशासन से सम्बन्धित विशेषताओं का आदान-प्रदान भी किया जाता है।

**सहयोग** (Co-operation)—यह संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research—CSIR), योजना आयोग, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मेनपॉवर रिसर्च, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि से सहयोग एवं सम्बन्ध रखता है। यह संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध करता है। इनमें यूनेस्को, रीजनल ऑफिस बैंकाक, इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग, पेरिस, कॉमन वेल्थ सचिवालय, लन्दन आदि प्रमुख हैं। अब यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय नूपा (National University of Educational Planning and Administration—NUEPA ) के नाम से जाना जाता है।

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
## (All Indian Council for Technical Educational—AICTE)

इस परिषद् की स्थापना 'सरकार समिति' (Sarkar Committee) की सिफारिश पर 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में भी की गयी। इसको 1987 के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम संख्या 52 द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। अधिनियम 28 मार्च, 1988 से लागू हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मुख्य कार्यों में देश में तकनीकी शिक्षा की उपर्युक्त योजना व समन्वित विकास पद्धति की योजनागत गुणात्मक वृद्धि तथा विनियमन के सम्बन्ध में सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधारों तथा मानदण्डों व स्तरों का अनुरक्षण (Maintenance) शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार परिषद् के निम्नांकित कार्य हैं—

(1) तकनीकी शिक्षा का नियोजन,
(2) स्तरों तथा मानदण्डों का निर्धारण एवं अनुरक्षण,
(3) प्रत्यापन (Accreditation),
(4) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए व्यवस्था,
(5) अनुश्रवण (Monitoring) तथा मूल्यांकन,
(6) प्रमाणन (Certification),
(7) उपाधियों की समकक्षता का निर्धारण करना,
(8) तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करना।

## क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
## (Regional Institute of Education—RIE)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान केन्द्रीय संस्थान एन. सी. ई. आर. टी. की ही सहयोगी तथा अधीनस्थ संस्था है। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय भोपाल में है। भोपाल का यह संस्थान मुख्यतः शिक्षकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का कार्यभार देखता है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के मुख्य कार्यों का विवरण निम्नलिखित है—

(1) संसाधन केन्द्र के रूप में विद्यालयों को शिक्षक-शिक्षा प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(2) सभी स्तरों पर गुणवत्तायुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ये कार्य अनेक पाठ्यक्रमों के माध्यम से संचालित होते हैं।

(3) सभी पायलट प्रोजेक्ट तथा अनुसन्धान कार्यों का परीक्षण करना।

(4) शिक्षकों, शिक्षकविदों तथा प्रशासकों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।

(5) राज्य शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों को आवश्यकता होने पर सहायता पहुँचाना।

(6) विद्यालयों को अनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध कराना।

(7) राज्य शिक्षा से जुड़े सभी अभिकरणों को सुझाव तथा परामर्श प्रदान करना।

## राज्य शिक्षा केन्द्र
## (Rajya Shiksha Kendra—RSK)

मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केन्द्र, भारतीय केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। मुख्यतः राज्य शिक्षा केन्द्र सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं, जिनके पास न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो, से अनुसन्धान प्रस्ताव माँगते हैं। अनुसन्धान प्रस्ताव भेजते समय संस्थाओं को अनुसन्धान से सम्बन्धित विभिन्न अवयव, जैसे—शीर्षक, समंक, वर्गीकरण, टूल्स, मैथोडोलॉजी, सैम्पलिंग तथा टाइम मैनेजमेण्ट का विस्तार से वर्णन करना चाहिए।

अनुसन्धान प्रस्ताव का चयन शीर्षक की गुणवत्ता तथा संस्था की कार्य पद्धति को संज्ञान में रखकर किया जाता है। जब संस्था का शीर्षक चयनित हो जाता है तो अनुसन्धान से बजट प्रस्ताव मांगा जाता है। इन सबके उपरान्त राज्य शिक्षा केन्द्र चयनित संस्थान के साथ एक अनुबन्ध (Term of Research—TOR) करती है।

## राज्य ओपन स्कूल
## (State Open School)

मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था अत्यधिक लचीली मुक्त शिक्षा (Open Education) के माध्यम से की जाती है। छात्रों को कक्षा दसवीं तथा बारहवीं की इस लचीली शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होने के कई अवसर लगातार उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष भर खुली प्रवेश नीति के अन्तर्गत वर्ष में दो बार जनवरी-अप्रैल (चार माह) तथा जुलाई-अक्टूबर (चार माह) प्रवेश दिया जाता है। इन सत्रों में प्रवेशित छात्रों की परीक्षायें क्रमशः माह नवम्बर तथा माह मई में आयोजित की जाती हैं।

मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित प्रदेश में एकमात्र इस अनूठी योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्र को 5 वर्षों के अन्तराल में 9 परीक्षा अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसमें वह अपनी योग्यतानुसार एक वर्ष में अथवा एक-एक करके अधिकतम 9 अवसरों में परीक्षा पास कर सकता है। छात्र के उत्तीर्ण विषयों का संकलन तब किया जाता है जब तक कि वह पूरे 5 विषयों की परीक्षा पास नहीं कर लेता। छात्र को 5 विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अंकसूची तथा प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं तथा 12वीं शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के अनुरूप है। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा

मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल की हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की गयी हैं। इन परीक्षाओं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा समकक्ष व मान्य किया गया है। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा भी राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गयी है। हाल ही में इन परीक्षाओं को भारतीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड मण्डल (COBSE) से मान्यता एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती हेतु भी मान्यता प्राप्त हुई है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की हायर सेकण्डरी परीक्षाओं को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिससे अब विद्यार्थी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा भी इन परीक्षाओं को समकक्षता प्रदान करते हुए मान्य किया गया है।

## राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
## (National Council of Teacher Education—NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यापित करने तथा पाठ्यचर्या व पद्धतियों के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन तथा क्षमता उपलब्ध करायी जायेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्ययोजना में इसे संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना की गयी। इस परिकल्पना को 1993 में साकार रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् विधेयक, 1993 लोक सभा द्वारा 14-5-93 को तथा राज्य सभा द्वारा 9-12-93 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के नाम से जाना गया। अधिनियम के अनुसार इस परिषद में निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त है—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव।

(2) निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे—

- (i) शिक्षा विभाग का सचिव,
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन,
- (iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निदेशक,
- (iv) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान (नीपा) का निदेशक,
- (v) प्लानिंग कमीशन का शिक्षा सलाहकार,
- (vi) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन,
- (vii) वित्त सलाहकार,
- (viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) का सदस्य सचिव, तथा
- (ix) सभी क्षेत्रीय समितियों के चेयरमैन।

(3) भारत सरकार द्वारा नियुक्त निम्न 13 व्यक्ति—

- (i) शिक्षा संकायों के अधिष्ठाता तथा विद्यालयों में शिक्षा के प्रोफेसर—चार।
- (ii) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का विशेषज्ञ—एक।
- (iii) पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ—दो।
- (v) प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्यानुभव शैक्षिक तकनीकी तथा विशेष शिक्षा के विशेषज्ञ—तीन।

(4) भारत सरकार द्वारा नियुक्त नौ सदस्य जो राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे।

(5) संसद के तीन संसद—दो लोक सभा तथा एक राज्य सभा का।

(6) भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव पूर्णकालिक होंगे और उनके पद की अवधि चार वर्ष होगी। परिषद् की वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य बैठक होगी। परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(1) चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव (Member Secretary),
(2) शिक्षा विभाग का सचिव–पदेन,
(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव–पदेन,
(4) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निदेशक,
(5) शिक्षा विभाग में भारत सरकार का वित्त सलाहकार,
(6) भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में चार विशेषज्ञ,
(7) भारत सरकार द्वारा मनोनीत राज्य सरकारों के प्रतिनिधि,
(8) क्षेत्रीय समितियों के चेयरमैन।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ने चार क्षेत्रीय समितियों की नियुक्ति की है–

(अ) पूर्वी क्षेत्रीय समिति ,
(ब) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति,
(स) उत्तरी क्षेत्रीय समिति,
(द) दक्षिणी क्षेत्रीय समिति।

क्षेत्रीय समिति में निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त होगी–

(1) परिषद् द्वारा मनोनीत एक सदस्य।
(2) क्षेत्र में आने वाले राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों का एक-एक प्रतिनिधि।
(3) शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ इनकी संख्या का निर्धारण विनियमन द्वारा होगा।
(4) परिषद्, क्षेत्रीय परिषद् के किसी एक सदस्य को समिति का चेयरमैन नियुक्त करेगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना इस लक्ष्य के साथ की गयी थी कि पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजन एवं विकास किये जाने के साथ ही जरूरी नियम बनाने का अध्ययन शिक्षा के मानकों तथा स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। एन. सी. टी. ई. के कुछ प्रमुख कार्य विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसन्धान एवं नवीन तकनीकें अपनाना, शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगाना, संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानकों, मूल्यांकन पद्धति आदि का निर्धारण और ट्यूशन तथा अन्य फीसों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान करना आदि।

परिषद् की चारों क्षेत्रीय समितियाँ (जयपुर, बंगलूरु, भुवनेश्वर तथा भोपाल में स्थित) अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का कार्य करती हैं। एन. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इन्हें अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए ऐसी संस्थाओं को अनुमति देने का अधिकार है।

1 जनवरी, 2007 तक एन. सी. टी. ई. ने 9045 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 7.72 लाख प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 7461 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की। एन. सी. टी. ई. ने सी. एड., बी. एड. तथा एम. पी. एड. जैसे विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नये नियम और मानक जारी किये हैं। नये नियम अध्यापक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अन्य सुविधाओं के अलावा बुनियादी मजबूती के लिए बनाये गये हैं।